

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाईट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०,

राँची।

राँची, दिनांक 06/06/2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत लातेहार जिलान्तर्गत नेतरहाट में होटल के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन के अनुसार कुल ₹ 2,75,00,000.00 (दो करोड़ पचहतर लाख रु०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 05, दिनांक - 21.04.2025, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 49, दिनांक - 29.03.2023 एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० का पत्रांक - 875(नि), दिनांक 25.04.2025

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश एवं पत्रांक के आलोक में राज्य स्कीम बजट मुख्यशीर्ष -5452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -75- पर्यटक स्थलों का समेकित विकास, विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण, 45 - निर्माण कार्य (विपत्र कोड 46-S-5452-80-796-75-00-05-45) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विषयांकित कार्य हेतु ₹ 2,75,00,000.00 (दो करोड़ पचहतर लाख रु०) मात्र आवंटित किया जाता है।

2. विषयांकित योजना हेतु आवंटित राशि एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति निम्नानुसार हैं -

प्रशासनिक स्वीकृत राशि	पूर्व का आवंटन	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन (II + IV)
I	II	III	IV	V
₹ 14,84,86,500.00	₹ 10,25,00,000.00	₹ 10,19,97,221.00	₹ 2,75,00,000.00	₹ 13,00,00,000.00

3. आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से की जायेगी।

4. इस राशि की निकासी में व्यय शीर्ष के साथ-साथ विपत्र कोड भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

5. आवंटित राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

6. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(Signature)

7. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

8. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत् हस्तांतरण निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड को करेंगे एवं निदेशक, पर्यटन निदेशालय निर्मित होने वाले संरचनाओं का समुचित प्रबंधन, रख-रखाव, संचालन एवं होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची/निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

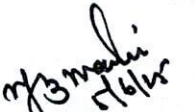
11. प्रासंगिक स्वीकृतिदेश में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. आवंटित राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2026 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।


(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक — पर्य०/नि०/यो० — 14/202214...../राँची, दिनांक— 06.06.2025

प्रतिलिपि — महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, लातेहार/सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

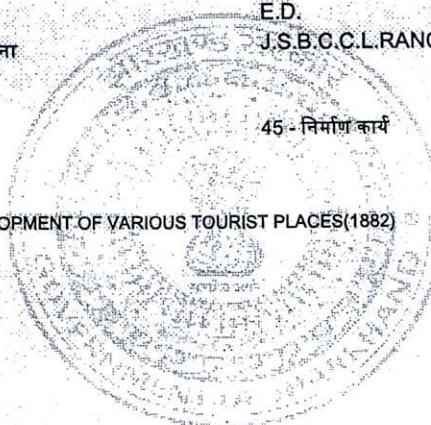
Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - PAR/NI/YO-14/23/14

दिनांक - 09-Jun-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 54528079675000545 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास 00-NA 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : Central Scheme :	33899	RNCBLD111 SANJAY KUJUR E.D. J.S.B.C.C.L.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	27,500,000.00 रुपये दो करोड पचहत्तर लाख
	INTEGRATED DEVELOPMENT OF VARIOUS TOURIST PLACES(1882) NA			



योग: रुपये दो करोड पचहत्तर लाख

27,500,000.00

क्रमिक योग:

(MANOJ KUMAR)

SECRETARY